फर्द अहकाम

मालू बनाम घाटूराम व अन्य

न्यायालय ... कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... मुख्यालय-जयपुर

...या ... 21/2023 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
08.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी-4 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी 4 का जवाब प्रा.पत्र टी.आई. बंद किया जाता है बहस प्रा.पत्र टी.आई. पर उभयपक्षकारान की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजों की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थी के दादा (अप्रार्थी-1) 1/8 हिस्सा निहित है जिसके अनुसार प्रार्थी के पिता (अप्रार्थी 2) का 1/24 हिस्सा तथा उक्तानुसार प्रार्थी का 1/48 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात पर राज.काश्त.अधि. प्रभाव में आने पर प्रार्थी के पड़दादा जोधाराम काश्त करते थे। जिसके अनुसार जागीर उन्मूलन पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा खतौनी जोधाराम के पुत्रों के नाम जारी किया गया था। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधि. के अनुसार प्रार्थी का पौत्र होने के आधार पर जन्म से ही भूमि वादग्रस्त में हक अधिकार निहित है। दादा व पिता के जीवनकाल में सहदायकी भूमि में पौत्र का ... से अधिकार है तथा ... से ही अपने हिस्से की भूमि पर ... होकर उपयोग-उपभोग करता ... अप्रार्थीगण जबरन भूमि के विशिष्ट भू-	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मालू बनाम घासीराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 21/2023 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08.5.24	भाग को विक्रय कर कब्जा करने पर आमादा है। जिस बाबत यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी। अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम घटवाड़ा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि (जिसका उल्लेख प्रा.पत्र टी.आई. व वादपत्र में किया गया है) में प्रार्थी के निश्चित हिस्सेनुसार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप व मदाखलत कारित ना करें तथा ना ही भूमि के किसी भाग का विक्रय हस्तांतरण आदि करें। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने हक अधिकार होने बाबत कथन कर अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रार्थी [illegible] के [illegible] सदस्य होने से हिन्दू उत्तराधिकार [illegible] प्रावधान के अन्तर्गत [illegible] प्राप्त नहीं कर [illegible] अतिरिक्त भी प्रार्थी अपने [illegible] (जीवित रहते) कोई [illegible] नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त ~~और~~ ~~अप्रार्थीगण~~ अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त अप्रार्थी-1

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

मालू बनाम घासीराम व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

21/2023 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.5.24	की स्व अर्जित सम्पत्ति है। जिसमें अप्रार्थी-1 (दादा) के जीवनकाल में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है तथा अप्रार्थी-1 को उक्त आराजी को अपने मुताबिक उपयोग-उपभोग व मुन्तकिल करने का अधिकार है। प्रार्थी का उल्लेखित भूमि पर कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। अपितु प्रार्थी, प्रार्थी का पिता (अप्रार्थी 2) व प्रार्थी का भाई (अप्रार्थी 5) वर्षों पूर्व ही अपने पिता/दादा से अपना हक हिस्से का धन लेकर गांव छोड़कर चले गए थे तथा अन्यत्र (ग्राम चौमू) अलग घर बनाकर निवासित है। इस प्रकार प्रार्थी व उसका पिता भी संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है। जिससे प्रार्थी संयुक्त परिवार के प्रावधान के अनुसार भी कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रार्थी का ना तो ग्राम घटवाड़ा में जन्म हुआ है, ना ही ग्राम घटवाड़ा में निवासित है। जिससे प्रार्थी को कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पैतृक अधिकारिता के अन्तर्गत अपने हक अधिकारों के संदर्भ में वाद प्रस्तुत कर अपने हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में मूलवाद साक्ष्यवादी की प्रक्रिया में नियत है। उभयपक्षकारान के प्रस्तुत	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मालू बनाम छोटूराम व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 21/2023 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08.05.24	तथ्य साक्ष्यों के अधीन विषय के बिंदु है जिससे उभयपक्षकारान के वास्तविक हक अधिकारों का निर्धारण उभयपक्षकारान के प्रस्तुत साक्ष्यों की गुणवत्ता के अनुसार व उभयपक्षकारान की साक्ष्यो के अन्तर्गत विस्तृत/समुचित रूप से सुनवाई जाकर किया जाना न्यायोचित समझते है ऐसी स्थिति में वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते है। अत: प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पूर्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.06.23 को मूलवाद के निस्तारण तक (ता फैसला मूलवाद) स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
		पत्रावली फैसल शुमार होकर रजि नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
		(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.27 12:03:11 IST
Reason: SelfAttested